भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2450

18.12.2023 को उत्तर के लिए

अनधिकृत मृदा निष्कर्षण

2450. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल के मावेलीकारा, अलपुझा जिले के आस-पास पालामेल ग्राम पंचायत में माट्टापल्ली में एक पहाड़ी से अनधिकृत रूप से बड़े पैमाने पर मृदा खनन के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या यह मृदा खनन सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करके किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उपयुक्त अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने तथा केरल के माट्टापल्ली में मृदा खनन को रोकने सहित आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार को चिंता है कि माट्टापल्ली पहाड़ी से मृदा खनन के करण स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा जल की कमी हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ): जैसा कि केरल सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के विकास के विशेष उद्देश्य के लिए सामान्य मिट्टी को हटाने के लिए केरल लघु खनिज रियायत नियम, 2015 के तहत भूविज्ञानी, जिला कार्यालय अलाप्पुझा द्वारा दिनांक 08.05.2023 को उत्खनन परमिट जारी किया गया था। इसके बाद, इस अनुमति के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की गईं थी और माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी दायर की गई।

इसके अलावा, दिनांक 08.12.2023 के एक आदेश के तहत, केरल के माननीय न्यायालय ने प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने स्तर पर चार सदस्यों का चयन कर एक समिति का गठन करें जोकि संबंधित मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करे और यदि आवश्यक हो तो उस स्थान का दौरा भी करें, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तदनुसार, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*****